कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2017–18/डी– 1617 दिनांकः 07/02/18

परिपत्र

शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र (PWF&AR-66/2018) एवं (PWF&AR-67/2018) क्रमांक एफ.2(4)वित्त/लोनिविलेनि/99 पार्ट–II जयपुर दिनांक 16.01.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट–XI के अन्तर्गत "संविदा की शर्तो" के क्लॉज 2 : विलम्ब के प्रतिकर (Compensation for delay) तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट–XIII के आईटम संख्या 23 एवं 25 में पूर्व में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधित प्रावधान जारी किये गये हैं।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है किः–

1. उक्त परिपत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
2. किसी भी बिल का भुगतान किये जाने से पूर्व समय अवधि (Spanwise) के अनुसार विलम्ब के प्रतिकर (Compensation for delay) तथा एस्केलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव की गणना आवश्यक तौर पर की जाकर तदानुसार वसूली/ भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. खण्ड कार्यालयों से अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भिजवाने जाने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों (Excess/Extra items, Final Deviation & Final Time Extension) के साथ समय अवधि (Spanwise) के अनुसार विलम्ब के प्रतिकर (Compensation for delay) तथा एस्केलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव की गणना का विवरण (संभाग के वरीष्ठतम लेखाकर्मी से जांच एवं प्रमाणित) एवं वसूली/ भुगतान की कार्यवाही की अधिकृत सूचना के साथ भिजवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

(सी.एल. वर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2017–18/डी– 1617 दिनांकः 07/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज. , जयपुर।
5. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
7. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत–कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
9. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी आंतरिक जांच दल (मुख्यालय/ समस्त–संभाग), सा.नि.वि., राज. को निर्देशित किया जाता है कि खण्डीय कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच के दौरान ऐसे समस्त प्रकरणों का विश्लेषण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
12. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार वर्मा)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांकः एफ.2(4)वित्त/लोनिविलेनि/99 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक : 16·01·2018

परिपत्र

विषय : **लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड–2 के परिशिष्ट– XI की 'संविदा की शर्तों' के क्लॉज 2 : विलंब के लिए प्रतिकर (compensation for delay) बाबत् स्पष्टीकरण।**

लोक निर्माण कार्यों हेतु अनुबंधित संवेदक द्वारा निर्माण कार्य करते समय निर्धारित समय–अवधियों (time spans) की कड़ाई से पालना की जानी अपेक्षित होती है। इस बाबत् वृहद् प्रावधान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के परिशिष्ट–XI के 'संविदा की शर्तों' के क्लॉज–2 में प्रावधित हैं जिनमें वर्णित चार समयावधियों (time spans) में क्रमशः 1/8, 3/8, 3/4 व पूर्ण कार्य संपन्न करना चाहिये।

यदि संवेदक कार्य की लागत के अनुरूप उक्तानुसार कार्य पूरा करने में असफल रहता है और कार्य निष्पादन में विलंब संवेदक की ओर से होता हैं तो संवेदक सरकार को प्रतिकर का संदाय करने हेतु दायी होता है। विलंब के लिए प्रतिकर संबंधी इस विषय पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :

1. **विलंब हेतु संचयी/असंचयी रूप से प्रतिकर के निर्धारण का विषय :**

विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा "विलंब के लिए प्रतिकर" की गणना संचयी अथवा असंचयी आधार पर किये जाने हेतु प्रकरण संदर्भित किये गये हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्ध प्रावधान का मंतव्य संचयी आधार पर प्रतिकर की गणना का नहीं है। अतः PWF&AR - Appendix XI के 'clause 2 : विलंब के लिए प्रतिकर' के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रतिकर की गणना करते हुए एक समयावधि में काटे गए प्रतिकर का समायोजन अगली समयावधि के प्रतिकर में किया जाने की मंशा है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :

विवरण	स्पानवाइज अवधि			
	प्रथम स्पान 1/4	द्वितीय स्पान 1/2	तृतीय स्पान 3/4	अंतिम स्पान फाईनल 4/4
1	2	3	4	5
निष्पादित किये जाने वाला कार्य (राशि रुपये में)	1/8 1782588	3/8 5347765	3/4 10695530	4/4 14260707
निष्पादित कार्य	–	1890474	5056178	8673887
अनिष्पादित कार्य	1782588	3457291	5639352	5586820
विलंब के लिए प्रतिकर	44565 @2.5%	172865 @5%	422801 @7.5%	558682 @10%
पूर्व समयावधि तक काटा गया प्रतिकर	–	44565	172865	422801
चालू समयावधि में काटा जाने वाला प्रतिकर	44565	128300	249936	135881
अतः वसूली योग्य कुल प्रतिकर = 44565+128300+249936+135881=**558682**				

वर्तमान नियमों में अनुबंधों हेतु प्रतिकर की गणना उक्तानुसार असंचयी रूप से की जाना अपेक्षित है। तथापि, जिन अनुबंधों का निष्पादन अंतिम रूप ले चुका है, उनमें प्रतिकर का पुनःनिर्धारण अपेक्षित नहीं होगा।

GFRRules

2. **कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लेने पर पूर्व में काटे गए अंतरिम प्रतिकर को नियमानुसार लौटाना :**

क्लॉज–2 के अन्तर्गत विद्यमान बिंदु 'C' के नीचे अंतिम पैराग्राफ से पूर्व स्पष्ट किया गया है कि 'In case the delay in execution of work is attributable to the contractor, the spanwise compensation, as laid down in this clause shall be mandatory. However, in case the slow progress in one time span is covered up within original stipulated period, then the amount of such compensation levied earlier shall be refunded.' अतः संवेदक द्वारा यदि एक समय–अवधि (time span) की धीमी प्रगति को मूल अनुज्ञात अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो पूर्व में उद्गृहीत ऐसे अंतरिम प्रतिकर की रकम संवेदक को लौटा दी जाएगी।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि निर्माण विभागों में अंतरिम प्रतिकर के प्रकरणों को उपरोक्तानुसार निर्णित नहीं किया जा रहा है। अतः सभी निर्माण विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान की पालना कराएं एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित कराएं कि प्रतिकर के लंबित प्रकरणों को नियमानुसार शीघ्र निर्णित कराएं।

साथ ही सभी निर्माण विभागों से अपेक्षित है कि PWF&AR पार्ट–।। की अपेंडिक्स–XIII (SoP) के आईटम 25 : Power to remit, reduce or revise the amount of compensation levied as per 'Conditions of Contract' के तहत उनके स्तर पर में विचाराधीन प्रकरणों की त्वरित समीक्षा कर उन्हें नियमानुसार निर्णित किया जाए।

सभी निर्माण विभाग कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपेक्षित निर्देश जारी कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही 31 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कराएं।

(मंजू अजपाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. *The Principal Accountant General (G&SSA/A&E) Rajasthan, Jaipur.*
2. *The ACS/ Principal Secretary/Secretary, PWD/PHED/IGNP/CAD/Forest/GWD/Water Resources Department.*
3. *The Principal Secretary to Hon'ble C.M. Rajasthan, Jaipur.*
4. *All Addl.C.S./Pr.Secretaries/ Secretaries, Rajasthan, Jaipur.*
5. *The Sr.Dy.Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.*
6. *Director, Treasury & Accounts/Inspection/Local Fund Audit Department, Vitta Bhawan, Jaipur.*
7. *All Chief Engineers, PWD/Water Resources/PHED/RWSSMB/GWD/IGNP/CAD, Jaipur/Bikaner/Kota..*
8. *All Financial Advisors/Chief Accounts Officers, RWSSMB/ PWD/WRD/PHED/GWD/IGNP/ CAD, Jaipur/Bikaner/Kota.*
9. *All Treasury/Sub-Treasury Officers. 10. All Sections of the Finance Department.*
11. *Admn.Reforms Department.*
11. *Addl.Director, Finance Department with a request to publish this circular on Website of FD.*
12. *Guard File.*

16/1/18
(उषस्पति त्रिपाठी)
संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR-67/2018)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(G&T DIVISION)

No. F.2(4)FD/PWF&AR/99 Part-II Jaipur, dated: 16.01.2018

ORDER

The Governor is pleased to order that the following amendments are hereby made in the Public Works Financial & Accounts Rules, Part-II :

1. After existing clause 2 (Compensation for delay) of Conditions of Contract of Appendix XI, a new clause 2A shall be added, as under :-

"**Clause 2A:Incentive for early completion:** In the event that the Project (cost more than Rs. 50 crore) Completion Date occurs prior to the Scheduled Completion Date (after taking into account any time extension approved by the competent authority for delays not attributable to the contractor), the Contractor shall be entitled to receive a payment of incentive equivalent to 0.03% (zero point zero three percent) of the Contract Price for each day by which the Project Completion Date precedes the Scheduled Completion Date, but subject to a maximum of 3% (three per cent of the Contract Price). Provided, however, that the payment of incentive, if any, shall be made only after the issue of the Completion Certificate.

Note: Contract Price for calculation of above incentive means Original Cost of Work, plus cost of Additional and Extra items, if any, but excluding price variations/ escalations granted, if any."

2. The existing Note 2 appearing in column 4 of Item 23 of Appendix XIII (SoP) shall be substituted as under:-

"Note 2: In case, extension of time involves payment of price escalation approval of Administrative Department (upto Secretary-in-Charge) / FC of RWSSMB for PHED shall be obtained."

----2

1/2

3. The existing Item 25 of Appendix XIII (SoP) shall be substituted as under:-

S. No.	PARTICULARS	TO WHOM DELEGATED	POWERS
1	2	3	4
25.	Powers to remit, reduce or revise the amount of compensation levied as per "Conditions of Contract".	AD/ CE/ACE/ SE/EE	In case of dispute regarding period attributable to the contractor, Bid Sanctioning Authority shall full powers to re-decide delay attributable to the contractor or government and accordingly compensation as per "Conditions of Contract" shall be finalized. However, in case above decision results into payment of price escalation, then Administrative Department (with approval of Secretary-in-Charge) will have full powers. Note: Action taken against the contractor under relevant clause of "Conditions of Contract" to determine / rescind the contract shall not be covered under this delegation.
		For PHED:	
		FC of RWSSMB	Full Powers
		CE/ACE/SE /EE	Full Powers to the Bid Sanctioning Authority. Note: Action taken against the contractor under relevant clause of "Conditions of Contract" to determine / rescind the contract shall not be covered under this delegation.

4. This order is applicable with immediate effect.

By Order,

(Manju Rajpal)
Secretary to Government
Finance (Budget) Department

Copy forwarded for information and necessary action to the following:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. *The Principal Accountant General (G&SSA/A&E) Rajasthan, Jaipur.*
2. *The ACS/ Principal Secretary/Secretary, PWD/PHED/IGNP/CAD/Forest/GWD/Water Resources Department.*
3. *The Principal Secretary to Hon'ble C.M. Rajasthan, Jaipur.*
4. *All Addl.C.S./Pr.Secretaries/ Secretaries, Rajasthan, Jaipur.*
5. *The Sr.Dy.Secretary to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.*
6. *Director, Treasury & Accounts/Inspection/Local Fund Audit Department, Vitta Bhawan, Jaipur.*
7. *All Chief Engineers, PWD/Water Resources/PHED/RWSSMB/GWD/IGNP/CAD, Jaipur/Bikaner/Kota..*
8. *All Financial Advisors/Chief Accounts Officers, RWSSMB/ PWD/WRD/PHED/GWD/IGNP/ CAD, Jaipur/Bikaner/Kota.*
9. *All Treasury/Sub-Treasury Officers. 10. All Sections of the Finance Department.*
11. *Admn.Reforms Department.*
11. *Addl.Director, Finance Department with a request to publish this circular on Website of FD.*
12. *Guard File.*

16/1/18

(UshaspatiTripathi)
Joint Secretary to Government

(PWF&AR - 66/2018)

2/2